mRrj izns'k uxj ikfydk vf/kfu;e&1916

¼mRrjk[k.M esa ;Fkk izoRr ,oa ;Fkk la'kksf/kr½

के प्राविधानों का उद्धरण

3. संक्रमणशील क्षेत्र और लघुत्तर नगरीय क्षेत्र की घोषणा इत्यादि।

3–क. प्रत्येक संक्रमणशील क्षेत्र ओर लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका ।

3–ख. कक्ष समितियों का गठन और संरचना।

9. नगरपालिका की संरचना।

9–क. स्थानों का आरक्षण।

10–क. नगरपालिका का कार्यकाल–(1) प्रत्येक नगरपालिका, जब तक कि धारा 30 के अधीन पहले ही विघटित न कर दी जाय, उसकी पहली बैठक के लिए नियत दिनांक से पॉच वर्ष तक, न कि उससे अधिक बनी रहेगी।

11–क' कक्ष का परिसीमन।

निर्वाचक नामावली

12–क. सदस्यों का निर्वाचन– किसी (नगरपालिका) के सदस्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जायेंगे।

12–ख. प्रत्येक कक्ष के लिए निर्वाचन नामावली– (1) प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(2) उपधारा(1) के अधीन रहते हुए प्रत्येक कक्ष के लिये निर्वाचक नामावली निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) के पर्यवेक्षण के अधीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण के नियमों द्वारा विहित रीति से तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(2–क) उपधारा (2) के निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी होंगे जैसा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से, इस निमित्त नाम–निर्दिष्ट या पदाभिहित करें।

(2–ख) निर्वाचक नामावली के प्रकाशन पर यह, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किये गये किसी परिवर्तन, परिवर्धन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अनुसार कक्ष के लिये तैयार की गयी निर्वाचक नामावली होगी।''

(3) इस अधिनियम में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली तैयार करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए तैयार की गई निर्वाचक नामावली को (राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार) अपना सकता है जहॉ तक उसका सम्बन्ध इस कक्ष के क्षेत्र से हो;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कक्ष के लिए निर्वाचक नामावली में ऐसे कक्ष के निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन के अन्तिम दिनांक के पश्चात् और उस निर्वाचन के पूर्ण होने के पूर्व किसी संशोधन, परिवर्तन या शुद्धि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

12–ग. निर्वाचकों के लिए अर्हता–धारा 12–घ ओर 12–ङ के उपबन्धो के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस वर्ष की जिसमें निर्वाचक नामावली तैयार या पुनरीक्षित की जाय, पहली जनवरी कों 18 वर्ष की आयु पूरी की ली हो, और जो कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी हो, कक्ष की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा'।

स्पष्टीकरण–(i) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण कि कक्ष के क्षेत्र में उसका किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा है, यह न समझ लिया जायेगा कि वह उस कक्ष के क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है।

(ii) अपने मामूली निवास–स्थान से अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में केवल इसी कारण यह न समझाा जायेगा कि वह वहॉ मामूली तौर से निवासी नही रहा।

(iii) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ऐसे सदस्य के रूप मे अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में कक्ष के क्षेत्र से अनुपस्थित रहने मात्र के कारण, अपनी पदावधि के दौरान उस क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होने से परिविरत नहीं समझा जायेगा।

(iv) यह विनिश्चय करने के लिए कि किन व्यक्तियों को किसी सुसंगत समय पर किसी विशिष्ट क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी समझा जाय या न समझा जाय, किन्ही अन्य तथ्यों पर, जिन्हें विहित किया जाय, विचार किया जायेगा।

(v) यदि किसी मामले में यह प्रश्न उठे कि किसी सुसंगत समय पर कोई व्यक्ति मामूली तौर से वहॉ का निवासी है तो उस प्रश्न का अवधारण मामले के सभी तथ्यों के निर्देश में किया जायेगा।

12–घ. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनर्हतायें–(1) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिये अनर्ह होगा, यदि वह–

(एक) भारत का नागरिक न हो; या

(दो) विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान हो या

(तीन) निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तत्समय अनर्ह हो।

(2) जो व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उपधारा(1) के अधीन अनर्ह हो जाय, उसका नाम उस निर्वाचक नामावली से तत्काल काट दिया जायेगा जिसमें वह दर्ज है–

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति के नाम को जो ऐसी किसी अनर्हता के कारण निर्वाचक नामावली से काट दिया गया हो उस नामावली में तत्काल फिर से रख दिया जायेगा, यदि ऐसी अनर्हता उस अवधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृति रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है।

12–ङ. रजिस्ट्रीकरण केवल एक कक्ष में होगा–(1) कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्ष की निर्वाचक नामावली में, या एक ही कक्ष की निर्वाचक नामावली से एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकरण का हकदार न होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली मे रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा, यदि उसका नाम किसी नगर, अन्य (नगरपालिका क्षेत्र छावनी या ग्राम पंचायत का क्षेत्र) से सम्बन्धित किसी निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जब तक कि वह यह दर्शित न करे कि उसका नाम ऐसी निर्वाचक नामावली से काट दिया गया है।

12–च. (1) जहॉ निर्वाचक, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का चाहे उसको दिये गये किसी आदेश पत्र पर या स्वप्रेरण से ऐसी जॉच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, यह समझाया हो आदेश निर्वाचक नामावली की कोई प्रविष्टि सुधारी या निष्कासित की जानी चाहिये या रजिस्ट्रीकरण के लिये हकदार किसी व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में परिवर्धन किया जाना चाहिये वहॉ वह इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और दिये गये आदेशों के अधीन रहते हुये, किसी प्रविष्टि का, यथास्थिति निष्कासन, सुधार या परिवर्धन करेगा–

परन्तु ऐसा कोई सुधार, निष्कासन या परिवर्धन, कक्ष के किसी निर्वाचन के लिये नामांकन देने के अंतिम दिनांक के पश्चात् और इस निर्वाचन के पूरा होने के पूर्व नही किया जायेगा।

परन्तु यह भी कि कोई सुधार या निष्कासन जो किसी व्यक्ति क हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला

क्रमश.....3

हो उसके विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नही किया जायेगा।
(2) निर्वाचक नामावली में किसी नाम को सम्मिलित करने, निष्कासित करने या सुधार करने के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे समय के भीतर ओर ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, जिसे नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रस्तुत की जायेगी।
12–छ. निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण–(राज्य निर्वाचन आयोग) यदि वह सामान्य या उप–निर्वाचन के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक समझे किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली का ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे, पुनरीक्षण करने का निर्देश दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कक्ष को निर्वाचक नामावली, जैसी कि वह कोई ऐसा निदेश दिये जाने के समय प्रवृत बनी रहेगी, जब तक कि इस प्रकार निदेशित पुनरीक्षण पूरा न हो जाय।

निर्वाचन का संचालन

13–क. सामान्य निर्वाचन– धारा 31–क में यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी नगरपालिका के सामान्य निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत कर सकती है।
13–ख. निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण इत्यादि–(1) नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशन, और नियन्त्रण राज्य निर्वाचन आयोग करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन रहते हुए उपधारा 12 (ख) की उपधारा (2–क) में निर्दिष्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (नगर स्थानीय निकाय) नगरपालिकाओं के सामान्य निर्वाचनो के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा।
(3) राज्य निर्वाचन आयोग सभी निर्वाचनों में प्रत्येक प्रत्याशी से नामांकन पत्र के साथ उसकी पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाओं के साथ अन्य सूचनाएं जैसा आवश्यक समझे, का शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र प्राप्त करेगा और मतदाताओं को उसकी जानकारी कराने के लिये खण्ड (ग) तथा (ड) की सूचनाओं को छोडकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगाः–
(क) क्या वह अतीत में किसी अपराधिक मामलें में दोषी पाया गया है? दोष मुक्त हुआ है? आरोप से उन्मोचित हुआ ह?, या दोषी पाये जाने की स्थिति में उसे दण्ड या अर्थदण्ड से दण्डित किया है?
(ख) नामांकन भरने के छः माह पूर्व क्या अभ्यार्थी किसी ऐसे लम्बित मामले में अभियुक्त रहा है जिसमें दो वर्ष या अधिक सजा हो सकती है, एवं मामले में आरोप निर्धारित हो चुके हों या न्यायालय ने संज्ञान में लिया हो? का विवरण ;
(ग) वह और उसके पति या पत्नी तथा आश्रितों की चल, अचल सम्पत्तियो, बैक बैलेंस आदि से सम्बन्धित पूर्ण सूचना ;
(घ) उस पर देनदारियों विशेषकर उसके द्वारा किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकार की अवशेष राशि का समय से भुगतान न करने की दशा में उसका पूर्ण विवरण ;
(ड) उसकी आय के साधन तथा वर्तमान मासिक/वार्षिक आय का पूर्ण विवरण ;
(च) वह विवाहित अथवा अविवाहित ;
(छ) उसके कुल बच्चों की संख्या और उनकी आयु व शिक्षा पर व्यय का विवरण ;
(ज) उसकी आयकर तथा भूमि–भवनकर, प्रक्षेपकर/शुल्क के रूप में भुगतान की जाने वाली वार्षिक धनराशि का पूर्ण विवरण, और
(झ) उसकी शैक्षिक योग्यता का विवरण ;

क्रमश.....4

13–ग. सदस्यता के लिए अर्हतायें– कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में चुने जाने और बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

(क) वह नगरपालिका में किसी कक्ष के लिए निर्वाचक न हो ;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो, और स्त्रियों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, वह यथास्थिति, उक्त श्रेणी का व्यक्ति न हो ;

(ग) उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।''

(घ) वह एक से अधिक वार्ड के लिये अभ्यार्थी न हो। ''

13–घ. सदस्यता के लिए अनर्हताएँ– कोई भी व्यक्ति इस बात के होते हुये भी कि वह अन्यथा अर्ह है किसी (नगरपालिका) का सदस्य निर्वाचत चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिये अनर्ह होगा यदि–

(क) वह किसी स्थानीय प्राधिकारी का कोई प्रदच्युत सेवक हो ओर उसके अधीन पुनः सेवायोजन के लिए विवर्जित किया गया हो ; या

(कक) वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किया हो और भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, जब तक कि उसी पदच्युत से छः वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो; या

(ख) वह किसी प्राधिकारी के आदेश द्वारा विधि–व्यवसायी के रूप में कार्य करने से विवर्जित किया गया हो; या

(ग) वह (नगरपालिका) के दान स्वरूप या उसके नियन्त्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो, या

(घ) वह धारा 27 या 41 के अधीन अनर्ह हो ; या

(ङ) "उसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि के 300 दिवस के पश्चात हुआ है;" या

(च) वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, या जिला सरकारी काउन्सेल या अपर सहायक जिला सरकारी काउन्सेल या अवैधानिक मजिस्ट्रेट या अवैतनिक मुन्सिफ या कोई अवैतनिक सहायक कलेक्टर हो ; या

(छ) उस पर एक वर्ष से अधिक की मॉग के नगरपालिका कर या अन्य देयों का, जिन पर धारा 166 लागू होती है, भुगतान बकाया हो ; या

(ज) "महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया है;" या

(झ) (1) वह अनुमोचित दिवालिया हो,; या

(झझ) वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171–ङ के अधीन कारावास से दण्डनीय किसी अपराध अथवा धारा 171–च के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो ; या (ञ) उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 या उत्तर प्रदेश आपूर्ति नियंत्रण (अस्थायी शक्ति) अधिनियम, 1947 जैसा कि उत्तर प्रदेश आपूर्तिनियन्त्रण (अस्थायीशक्ति) अधिनियम, 1953 द्वारा पुनः अधिनियमित किया गया या खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन दिए गये किसी आदेश का उल्लंघन करने के लिये या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसे राज्य सरकार ने यह घोषित किया हो कि उसमें ऐसी नैतिक अधमत्ता अन्तर्वलित है, जिससे वह सदस्य होने के लिए अयोग्य कर दिया गया हो, कारावास का दण्डादेश दिया गया हो या उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 109 या 110 के अधीन की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप सदाचार के लिए बन्धपत्र निष्पादित करने का आदेश दिया गया हो और ऐसा दण्डादेश या आदेश बाद में परिवर्तित न कर दिया गया हो;

परन्तु (क) और (ख) की दशा में उक्त अनर्हता राज्य सरकार के इस निमित्त दिये गये आदेश द्वारा दूर की जा सकती है।

क्रमश.....5

परन्तु यह ओर कि (छ) की दशा में बकाया भुगतान करने पर यथाशीघ्र अनर्हता समाप्त हो जायेगी।

परन्तु यह और भी की (ञ) की दशा में–

(1) यथास्थिति उसके कारावास से निर्मुक्त होने के दिनांक से पॉच वर्ष की समाप्ति पर या उस अवधि, जिसके लिए उससे सदाचार बनाये रखने के लिये बन्ध–पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, की समाप्ति के दिनांक से अनर्हता नहीं रह जायेगी ; और

(2) ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अर्न्हता के दिनांक को नगरपालिका का सदस्य हो, अनर्हता तब तक प्रभावी नही होगी जब तक कि ऐसी अनर्हता के दिनांक से तीन मास तक न बीत गये हों, या यदि उक्त तीन मास के भीतर सिद्ध दोष ठहराने या आदेश के सम्बन्ध में पुनरीक्षण के लिए कोई अपील या याचिका प्रस्तुत की गई हो तो जब ऐसी अपील या विस्तारण न कर दिया गया हो।

(ट) वह राज्य के विधान मण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनो के लिये तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार अनर्ह कर दिया जाता है–

"(ठ) किसी ऐसे समाचार पत्र में, जिसमें नगर पालिका के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई विज्ञापन दिया जा सकता है, अंश से या हित रखता है;" या

"(ड) किसी ऐसी संस्था, जो नगर पालिका से किसी भी प्रकार की वित्तिय सहायता प्राप्त कर रही है, का वैतनिक कर्मचारी है;" या

"(ढ) यदि वह या उसके परिवार का सदस्य या उसका कानूनी वारिस नगर पालिका के स्वामित्व या प्रबन्धन की भूमि या भवन या सार्वजनिक सड़क या पटरी, नाली, नाला पर अनाधिकृत कब्जा करता है अथवा किसी ऐसे अनाधिकृत कब्जे से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करता है;" या

"(ण) नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी संवर्ग या वर्ग के संघ या यूनियन का प्रतिनिधि या पदाधिकारी है;" या

"(त) नगर पालिका के अधिनियम, नियम, उपविधियाँ, विनिमय, शासनादेश का उल्लंघन करने, नगर पालिका की हितों की उपेक्षा करने का सिद्ध दोषी ठहराया गया हो।"

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस आधार पर अनर्ह नहीं किया जायेगा कि वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का है।'

13–ङ. मत देने का अधिकार–(1) कोई व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट न हो उस कक्ष में मत देने का हकदार न होगा जैसा कि इस अधिनियम में स्पष्टतः उपबन्धित है उसके सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट हो, उस कक्ष में मत देने का हकदार होगा।

(2) कोई व्यक्ति किसी कक्ष में निर्वाचन मे मत नही देगा, यदि वह धारा 12 घ में निर्दिष्ट किसी अनर्हता के अधीन है।

(3) कोई व्यक्ति किसी साधारण निर्वाचन मे एक से अधिक कक्षो में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसा एक से अधिक कक्षो मे मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिये हुये मत शून्य हो जायेगे।

(4) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन मे एक ही कक्ष में एक से अधिक बार मत नही देगा भले ही उस कक्ष की निर्वाचक नामावली में उसका नाम एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, और यदि वह इस प्रकार मत देता है, तो उस कक्ष में उसके दिये हुये सभी मत शून्य हो जायेगे।

(5) कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में मत नहीं देगा, यदि वह कारागार में, चाहे कारावास के या निर्वासन दन्डादेश के अधीन या अन्य प्रकार से परिरूद्ध हो, या पुलिस की विधिपूर्ण अभिरक्षा मे हो ;

क्रमश.....6

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू न होगी, जिसको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध किया गया हो।

13–च– मतदान की रीति– किसी वार्ड के प्रत्येक निर्वाचन में, जहां मतदान लिया जाये, मत गूढ़ शलाका या वोटिंग मशीन द्वारा दिये जायेंगे तथा कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं लिया जायेगा।

13–छ. निर्वाचनों के संचालन के सम्बन्ध में आदेश– जहॉ तक इस अधिनियम के द्वारा किसी विषय के सम्बन्ध में उपबन्ध न किया गया हो तो 'राज्य निर्वाचन आयोग' आदेश द्वारा, निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध में उपबन्ध कर सकता है, अर्थात्

13–ज. (1) उप–निर्वाचन

13–ञ. निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

13–ट. सिविल न्यायालय की अधिकारिता–(1)किसी भी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकारिता न होगी–

(क) किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करना या उस पर न्याय निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने का हकदार है या नही ; या

(ख) निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन या तैयारी के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्यवाही की वैधता पर आपत्ति करना ; या

(ग) रिटर्निंग आफिसर द्वारा या इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के सम्बन्ध मे नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या किये गये किसी विनिश्चय की वैधता पर आपत्ति करना।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन याचिका द्वारा की गई आपत्ति के सिवाय किसी निर्वाचन पर अन्य प्रकार से आपत्ति न की जा सकेगी।

नगरपालिका का नियन्त्रण

30. राज्य सरकार की नगरपालिका को विघटित करने की शक्ति

31–क. नगरपालिका के विघटन के परिणाम।

43. अध्यक्ष का निर्वाचन–(1) अध्यक्ष नगरपालिका क्षेत्र में निर्वाचक द्वारा मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायेगा।

(2) बहिर्गामी अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

(3) किसी सदस्य के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन और निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम के उपबन्ध ओर तद्धीन बनाये गये निगम अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(4) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगरपालिका के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या नगरपालिका सदस्य होते हुये किसी उप–निर्वाचन में अध्यक्ष निर्वाचित हो जाये, तो वह धारा 49 में यथा उपबन्धित के सिवाय, अध्यक्ष निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायेगा।

43–क. भिन्न–भिन्न स्थानीय प्राधिकारियों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद एक साथ धारण करने के सम्बन्ध में रोक–कोई व्यक्ति नगरपालिका और किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी दानों का एक ही समय में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष न होगा–

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के किसी ऐसे या उसी तरह के किसी पद पर निर्वाचित हो जाय तो वह अपने विकल्प से एक स्थानीय प्राधिकारी में पद धारण करता रहेगा और अन्य प्राधिकारियों में विहित अवधि के भीतर, त्याग–पत्र दे देगा।

क्रमश.....7

43–कक. अध्यक्ष पद के लिये अर्हतायें–(1) कोई व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष चुने जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह–

(क) सम्बन्धित नगरपालिका किसी कक्ष का निर्वाचक न हो ; और

(ख) अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किये जाने के लिए उम्मीदवार के रूप में अपने नाम–निर्देशन के दिनांक को तीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिका का अध्यक्ष , चुने जाने या होने के लिए अनर्ह होगा यदि वह–

(क) धारा 13घ के (क) से (छ) तक और (छ) से (ट) तक ये उल्लेखित किसी अनर्हता के कारण अनर्ह हो या हो गया हो और ऐसी अनर्हता उक्त धार के अधीन न तो समाप्त हुई हो और न हटाई गयी हो।

(मूल अधिनियम की धारा 43–कक की उपधारा (2)(क) में उपधारा "(ट)" के बाद उपधारा 13 घ के बाद उपधारा (ठ)(ड)(ढ़)(ण) तथा (त) रख दिये जायेंगे।)

43–ग. अध्यक्ष के निर्वाचन के सम्बन्ध में आदेश देने की शक्ति– (जहॉ तक निम्नलिखित विषयों में से किसी संबंध में इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमो द्वारा उपबन्ध न किया जाय, राज्य निर्वाचन आयोग) आदेश द्वारा, अध्यक्ष के निर्वाचन के संचालन से सम्बन्धित उपबन्ध कर सकती है,

44–क. अध्यक्ष का उपनिर्वाचन– यदि मृत्यु या त्याग पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाय तो तत्पश्चात् यथाशक्य् शीघ्र, किन्तु उक्त रिक्ति होने के दिनांक से तीन मास के भीतर, धारा 43 में उपबन्धित रीति से, अध्यक्ष निर्वाचति किया जायेगा।

46. अध्यक्ष की पदावधि– (1) इस अधिनियम मे अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, अध्यक्ष की पदावधि , नगरपालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।

(2) आकस्मिक रिक्ति में निर्वाचित अध्यक्ष की पदावधि उसके पूर्वाधिकारी की पदावधि से शेष भाग के लिये होगी।

49. अध्यक्ष का सदस्य होना– नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका का पदेन सदस्य होता है।

54. उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी पदावधि और त्याग–पत्र–(1) प्रत्येक नगरपालिका विशेष संकल्प द्वारा अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष या यथास्थिति एक ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा।

(2) किसी उपाध्यक्ष के पद का कार्यकाल , उसके निर्वाचन के दिनांक से एक वर्ष या नगरपालिका के सदस्य के रूप में उसके पद के कार्यकाल की शेष अवधि, इसमें जो भी कम हो, होगी।

(3) कोई उपाध्यक्ष जो परित्याग करना चाहे, अपने इस आशय की लिखित सूचना अध्यक्ष को भेज सकता है और नगरपालिका द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन अपाध्यक्ष का निर्वाचन, यथास्थित, नगरपालिका के सम्यक् गठन के दिनांक से जैसा कि धारा 56 के अधीन अधिसूचित किया जाय या रिक्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर पूरा किया जायेगा।

56. निर्वाचनों, नाम निर्देशनों और रिक्तियों की अधिसूचना–नगरपालिका के सदस्य या अध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन और नाम–निर्देशन, नगरपालिका का यथोचित गठन और सदस्य या अध्यक्ष के पद की प्रत्येक रिक्ति सरकारी गजट में अधिसूचित की जायेगी।